

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2018

सिविध- 6041/2018/अशोकनगर/भू. 2

बिमलाबाई आदि द्वारा केलाशर यासुर निवारी-  
आवेदकगण

आफ पिपरडी सिविल मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

— अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन  
द्वारा आज दि. 5-10-18  
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 9-10/18

आवेदन पत्र वास्ते आदेश में त्रुटि सुधार किये जाने बावत्। 152

राजस्व मण्डल, म.प्र.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

- 1- यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी/4702 /2018/अशोकनगर/भू. 2 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2018 आदेश पारित किया गया है, जिसमें टायपिंग त्रुटि हो गयी है। आदेश के अंतिम पैरा नं.8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.04.2002 लिखा गया है, जबकि दिनांक 18.08.2002 अंकित किया जाना था।
- 2- यहकि, आदेश के अंतिम पैरा नं.8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.04.2002 लिखा गया है, जिसके स्थान पर दिनांक 18.08.2002 लिखा जाना चाहिए था, उक्त त्रुटि सुधार किया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमान् न्यायालय प्रार्थना है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार कर उक्त त्रुटि सुधार किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक 05.10.2018

प्रार्थीगण,

कार्यालय महारिजवा राजस्व मण्डल  
अभिभाषक yes  
पृष्ठ संख्या 01 से 05  
दिनांक 5/10/18

बिमलाबाई आदि — आवेदकगण

द्वारा अभिभाषक


अवध किशोर ठाकुर एवं

सुनील सिंह जादौन, एडवोकेट्स

10:57 A

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक विविध 6041/2018/अशोकनगर/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र वास्ते धारा 152 सी0 पी0 सी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 4702/2018/अशोकनगर/भूरा में पारित आदेश दिनांक 13.9.18 में आदेश के अंतिम पैरा नंबर 8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.4.2002 लिखा गया है जबकि दिनांक 18.8.2002 लिखा होना चाहिये था।</p> <p>2-आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता तथा आदेश के अंतिम पैरा नंबर 8 की चौथी लाईन में दिनांक 18.4.2002 के स्थान पर 18.8.2002 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।</p>	<p style="text-align: right;"> सदस्य</p>